

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

राँची....., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-.....57.....सन्-.....2019-20.....।

कार-बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद।

र-कल्पना देवी बनाम प्रतिपक्षी-अंचल अधिकारी, बुण्डू।

की क्रम सं० एवं  
दि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गयी  
टिप्पणी तारीख सहित

30-09-2020

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी-श्रीमती कल्पना देवी, पति-श्री महानन्द महतो, सा०-पोवादिरी, पो०-रेलाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-282 R27/2017-18/बुण्डू में दिनांक-06.02.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

<u>मौजा</u>	<u>थाना</u>	<u>थाना सं०</u>	<u>खाता सं०</u>	<u>खेसरा सं०</u>	<u>रकवा</u>
बुण्डू	बुण्डू	28	741	39	05 डीसमील

चौहद्दी:-उ०-प्रस्तावित रास्ता 10 फीट का, द०-प्लॉट नं०-36 का अंश,  
पू०-प्लॉट नं०-39 का अंश, प०-यशौदा कुमारी।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०-282 R27/2017-18/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार नामांतरण आवेदन ऑनलाईन प्राप्त है एवं सुनवाई की तिथि को आवेदक आवश्यक मूल कागजातों के साथ उपस्थित नहीं हुए। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।

अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे आवेदित भूमि से संबंधित मूल कागजात प्राप्त करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।  
लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
बुण्डू(राँची)।